(7)

रेस्टो० 282-I-15

न्यायालय श्रीमान् रेवन्यू बोर्ड बेन्च लखनऊ

वा०सं० 4309/I/014 (जबलपुर)

अजीत यादव S/o. [illegible] यादव R/o. 8 [illegible] जबलपुर — अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती [illegible] यादव — प्रत्यर्थी

G.P. Tripathi Adv.

22/4/15	आवेदक अधि० श्री जी.पी. त्रिपाठी उप० उन्हें पुनर्स्थापन आवेदन सुना गया। बताए गये कारण समाधान कारक होने से मूल प्रार्थना पत्र निग० 4309-I/14 पुनर्स्थापित किया जाता है। यह प्रकीर्ण दाखिल दफ्तर हो। प्रशा० सदस्य

G.P.